

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.-07723-223305, फैक्स नं.-07723-223302, Email Id-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/601/क/एस.डब्ल्यू./2020

महासमुन्द, दिनांक 03/07/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/488/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 06.06.2020 के द्वारा महासमुन्द जिलांतर्गत तहसील बसना के ग्राम कोटेनदरहा में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

02/ उपरोक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द द्वारा पत्र क्रमांक/कोविड-19/2020/1821 दिनांक 03.07.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि महासमुन्द जिलांतर्गत बसना तहसील के ग्राम कोटेनदरहा में कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने के पश्चात् 28 दिनों में कोई भी कोरोना वायरस के धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आये कुल 27 लोगो का RT-PCR Sample, AIIMS Raipur भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुआ है तथा सक्रिय सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोविड-19 से संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

03/ उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/488/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 06.06.2020 के माध्यम से ग्राम कोटेनदरहा में घोषित कन्टेनमेंट जोन में विगत 28 दिनों में कोरोना वायरस (कोविड-19) का कोई भी धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज की पुष्टि नहीं होने, धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का AIIMS Raipur में प्रेषित सैपल का परिणाम नकारात्मक (निगेटिव) आने के कारण ग्राम कोटेनदरहा को एतद्द्वारा कन्टेनमेंट जोन से मुक्त करते हुए उक्त आदेश प्रभावहीन किया जाता है।

04/ इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं को दी गई छूट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 उक्त ग्राम में भी प्रभावशील होगा।

05/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

*Khoel*  
03-07-2020

कलेक्टर  
जिला दण्डाधिकारी  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/601/क/एस.डब्ल्यू./2020

महासमुन्द दिनांक 03/07/2020

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, बसना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व संबंधित अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क, महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।



*Khoel*  
कलेक्टर  
जिला दण्डाधिकारी  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
महासमुन्द (छ.ग.)